

1.6

Form-I
(for linear Project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

No-----

Dated-----02-03-2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest Purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **6.9915 hectares** of forest and proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT for Construction of Dewaldhar-Maithan-Leti-Girachhana motor road in Bageshwar district** falls within jurisdiction of **Dewaldhar (Bankhand), Leti and Chauhana Village in Bageshwar Tehsil.**


It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **6.9915 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.3
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Enclose – as above

Dated 02-03-2015

Signature


(Bhupal Singh Manral,
District Collector


Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में देवलधार-
माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम देवलधार (कागर)
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में देवलधार-माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (5.40 है० आरक्षित वन भूमि, 0.891 है० सिविल सोयम भूमि, 0.7065 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 6.9975 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कागर द्वारा दिनांक 19.02.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम देवलधार एवं गिरेछीना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह०/
ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत आगर
प्र०-जनोटी पालडी
वि०११० व जनपद-बागेश्वर
ग्राम प्रधान


नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक...19.02.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...देवली.ए.ए. (आगर)

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	अनीता देवी व/र. जगदीश प्रसाद (कार्ड मेम्बर)	अनीता देवी
2-	सविता देवी व/र. राजेश कुमार — " —	सविता देवी
3-	केलाश चन्द व/र. मनोहर लाल — " —	Mandhar Lal
4-	हेमा देवी व/र. बंशीधर — " —	हेमा देवी
5-	मनोहर लाल व/र. गोखराज — " —	Mandhar Lal

प्रधान 
 ग्राम पंचायत आगर
 पो०-जनौटी पालड़ी
 वि०ख० व जनपद-बागेश्वर

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में देवलधार-
माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पालडीबागड
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में देवलधार-माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (5.40 है० आरक्षित वन भूमि, 0.891 है० सिविल सोयम भूमि, 0.7065 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 6.9975 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पालडीबागड द्वारा दिनांक 22.02.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी प्रजाति किसी भी आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पालडीबागड एवं के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है


ह०/
ग्राम सचिव


प्रधान
ग्राम पंचायत पालडीबागड
पो० जनैटी पालडीबागड वि०ख०-बागेश्वर

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 20.02.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत पालडी बगड

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	विनोद कुमार S/o सुब्रह्मण्य राम (वार्ड मॅम्बर)	
(2)	कलावती देवी W/o किशन राम - ,, -	कलावती देवी
(3)	अनीता देवी W/o सुरेन्द्र सिंह - ,, -	अनीता देवी
(4)	अनुली देवी W/o धन सिंह - ,, -	अनुली देवी
(5)	नन्दन सिंह S/o आन सिंह - ,, -	Nandn


प्रधान

ग्राम पंचायत पालडी बगड
पो० जनौटी पालडी वि० ख०-बागेश्वर

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में देवलधार-
माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम लेटी
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में देवलधार-माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (5.40 है० आरक्षित वन भूमि, 0.891 है० सिविल सोयम भूमि, 0.7065 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 6.9975 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यादर्शित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लेटी द्वारा दिनांक 22.12.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम लेटी एवंके ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह० / 
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम लेटी-लेटी
वि०ख० व जनपद-बागेश्वर
उत्तराखण्ड


ग्राम पंचायत-लेटी
वि०ख० व जनपद-बागेश्वर
उत्तराखण्ड

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 2.02.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ~~देवी~~

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	रेखा देवी व/र जगदीश सिंह (वाड प्रेम)	रेखा देवी
2-	किशन सिंह व/र बने सिंह — " —	होशियार
3-	माधवी देवी व/र ब्रजम सिंह — " —	माधवी देवी
4-	पानुजी देवी व/र कुल सिंह — " —	पानुजी देवी
5-	भूषण सिंह व/र जीवन सिंह — " —	भूषण सिंह
6-	गोविन्द सिंह व/र विजय सिंह (पूर्व प्रधान)	18/2/15
7-	सकली देवी व/र गोविन्द सिंह (— " —)	सकली देवी

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में देवलधार-
माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चौहाना
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में देवलधार-माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (5.40 है० आरक्षित वन भूमि, 0.891 है० सिविल सोयम भूमि, 0.7065 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 6.9975 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चौहाना द्वारा दिनांक 28/2/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चौहाना एवं नकुवा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह०/
ग्राम सचिव

ह०-
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत चौहाना, पो-डोवा
वि०ख० व जनपद- बागेश्वर

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 28/2/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चौहाना

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित परिच्य ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1)	पद्मश्री 30 नारायणश्री	पद्मश्री
2)	गंगाश्री 31 हरकेश	गंगाश्री
3)	रमेशश्री 32 पद्मश्री	रमेशश्री
4)	पद्मश्री 33 गंगाश्री	पद्मश्री
5)	हरश्री 34 गोमविन्दाश्री	पद्मश्री चौहाना
6)	सुजनराम 35 मोलीराम	Sujanram
7)	मनोश्री 36 विष्णुश्री	
8)	महेशश्री 37 भगवानश्री	सुजनराम
9)	रमेशश्री 38 उचमाश्री	हरश्री
10)	विष्णुश्री 39 खीमाश्री	खीमाश्री
11)	भुवनाश्री 40 लजश्री	भुवनाश्री
12)	हरश्री 41 लजश्री	हरश्री
13)	मानन्दश्री 42 गोविन्दश्री	मानन्दश्री

14 सुलाश्री 43 देवीश्री

हरश्री
मानन्दश्री
सुलाश्री

प्रधान गोविन्दश्री
ग्राम पंचायत चौहाना, पो० डांवा
वि०ख० व जनपद बागशुबर

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में देवलधार-
माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- बागेश्वर

उपखण्ड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत देवलधार-माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (5.40 है० आरक्षित वनभूमि, 0.891 है०, सिविल सोयम वन भूमि, 0.7065 है०, वन पंचायत भूमि (अर्थात् कुल 6.9975 है० वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत बनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील बागेश्वर की दिनांक 28.02.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री फिचाराम चौहान, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री फिचाराम चौहान	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	श्री एस०एन० त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4-	श्रीमती सुपारी देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देवलधार-माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 6.9975 है० भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुषंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

1.6

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत देवलधार-माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 6.9975 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव

1-	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2-	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3-	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4-	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

आज दिनांक 28.02.2015 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के प्रमाण पत्र दिनांक 28.02.2015 द्वारा देवलधार-माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग निर्माण के लिए 6.9975 है० भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा देवलधार-माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग निर्माण के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर देवलधार-माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग निर्माण के लिए 6.9975 है० उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा देवलधार-माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग निर्माण के लिए 6.9975 है० भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिला समाज कल्याण
अधिकारी बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में देवलधार-
माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित देवलधार-माईथान-लेटी-
गिरेछीना मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 6.9975 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग
(प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत
किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार
परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नहीं हो रही
है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

दिनांक 02-03-2015

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

नोट:- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता
एजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।

सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाइन, ओ.एफ.सी. केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि
प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया
गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न
नहीं किये जाने है। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ
जिला अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में देवलधार-माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित देवलधार-माईथान-लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 6.9915 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/ 98-एफ०सी० दिनांक 05.02. 2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) प्रयोजनों यथा सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ.एफ.सी. केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

दिनांक 02-03-2015

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर